न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 104/2017 ई.रे. दिनांक 19.06.2025

मिश्री खॉ पिता मेहताब खॉ मुसलमान् निवासी सरदार खॉ जी खेडा तह0 बडीसादडी

––वादी

बनाम

1. नसीर खॉ पिता मेहताब खॉ मुसलमान् नि. सरदारखांजी का खेड़ा तह. बडीसादडी
2. मुमताज खॉ पिता मेहताब खॉ मुसलमान् नि. सरदारखांजी का खेड़ा तह. बडीसादडी
3. याकुब खॉ पिता मेहताब खॉ मुसलमान् नि. सरदारखांजी का खेड़ा तह. बडीसादडी
4. गुलशेर खॉ पिता मेहताब खॉ मुसलमान् नि. सरदारखांजी का खेड़ा तह. बडीसादडी
5. शोकीन खॉ पिता छोटे खॉ मुसलमान् उम्र वयस्क नि0 सरदारखॉ जी का खेडा
6. साइना पिता पिता छोटे खॉ नाबालिग जरिये सरक्षंक माता मुन्ना बेगम पत्नी छोटे खॉ मुसलमान नि. सरदारखांजी का खेड़ा तह. बडीसादडी
7. मुन्ना बेगम पत्नी छोटे खॉ मुसलमान् नि. सरदारखांजी का खेड़ा तह. बडीसादडी
8. हसन खॉ पिता याकुब खॉ मुसलमान् नि. सरदारखांजी का खेड़ा तह. बडीसादडी
9. तहसीलदार एवं उपपंजीयक बडीसादडी
10. कमलीबाई पत्नी मांगीलाल गुजर निवासी सांगरिया
11. वरजु पत्नी कालुलाल डांगी नि. सरदारखांजी का खेड़ा तह. बडीसादडी

––प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188 रा0टी0एक्ट</u>

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश प्रसाद वैष्णव, अधिवक्ता वादी की ओर से
2.श्री विजय मोगरा अधिवक्ता प्रतिवादी न. 1, 3, 8 की ओर से
3.श्री अनिल सोनावा अधिवक्ता प्रतिवादी न. 10 की ओर से

// निर्णय // दिनांक :– 19/06/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी न[illegible] ने [illegible]ाक 11–2–2025 को एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0[illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व मे ए[illegible] रा0टी0एक्ट [illegible] मिश्री खॉ बनाम नसीर खॉ जिसके प्रकरण सख्या 21/2015 इ0रे0 [illegible] जिसका निर्णय गुण अ[illegible] दिनाक 29–10–2015 को माननीय न्यायालय द्वारा किया गया फिर भी वादी ने समान आराजीयात व समान पक्षकार

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

बनाते हुऐ यह वाद पुनः प्रस्तुत किया जो धारा 11 जा0दी0 के तहत रेसज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने से खारीज होने योग्य है।

वकील प्रतिवादी क्रमांक 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी मे यह निवेदन किया की वादी द्वारा एक वाद पुर्व मे पेश किया गया जिसके प्रकरण सख्या 21/2015 है जिसका निर्णय गुण अवगुण पर दिनाक 29–10–2015 को न्यायालय द्वारा किया गया तथा न्यायालय द्वारा उक्त वाद का निर्णय पुर्व मे हो जाने के पश्चात् ही वादी द्वारा केवल न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद पत्र पेश किया है जिससे प्रतिवादी न. 10 ने जो आराजीयात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की है उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही किया जावे।

वादी द्वारा उक्त वाद पत्र पुर्व मे प्रस्तुत किया जिसमे प्रतिवादी क्रमाकं 1 का सम्पुर्ण हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 10 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद किये जाने से प्रतिवादी न. 1 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाये जाने का आदेश पारीत किया गया तथा पुनः वादी द्वारा एक वाद धारा 188 रा0टी0एक्ट का दिनाक 13–10–2017 को पेश किया गया जिसमे उक्त सभी वादी एवं प्रतिवादीगण एवं समान आराजीयात का प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस सम्मन जारी किये गये प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा पेश हुआ तथा प्रतिवादी न. 2, 3, 4 की और से जवाब दावा पेश किया एवं अन्य प्रतिवादीगण की और से जवाब पेश नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा प्रतिवादी न.10 ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी न.10 को पक्षकार बनाया गया उक्त वाद को खारीज कराने हेतु प्रतिवादी न.10 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बहस दौराने वकील प्रतिवादीगण ने बताया की वाद पत्र की कलम न.1 मे वर्णित आराजीयात मोजा सांगरीया की खाता सख्या 236 मे वर्णित आराजीयात कुल किता 31 रकबा 10.5700 हैक्ट. व खाता सख्या 237 मे वर्णित आराजीयात 2.34 हैक्ट्रयर स्थित है जिसमे वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी न.1 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी न.10 को विक्रय किया गया तथा राजस्व रेकर्ड मे अंकन होने से रोकने के लिये यह वाद प्रस्तुत किया गया तथा वादी द्वारा पुर्व मे जो वाद पेश किया गया जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी चितौडगढ के यहॉ प्रस्तुत कर रखी है जिसके प्रकरण सख्या 389/2015 है फिर भी वादी ने गलत तथ्य बताकर यह वाद पुनः पेश किया जो न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है तथा प्रतिवादी न.1 नसीर खॉ की मृत्यु हो चुकी है फिर भी वादी द्वारा यह वाद चलाया जा रहा है जो अबैट होने योग्य है तथा वादी ने वाद कारण दिनाक 9.10.2017 को उत्पन्न होना बातया जबकी वादी के वाद का निर्णय पुर्व ने मे 29.10.2015 गुण अवगुण कर किया गया है। इसलिये वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारीज फरमाया जावे।

वादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस कहॉ की पूर्व मे जो वाद पत्र पेश किया गया वह बटवाडे का वाद पेश किया किन्तु यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद वादी के द्वारा पेश किय गया है तथा पुर्व के निर्णय की अपील राजस्व अंपील अधिकारी चितौडगढ के यहॉ जैर पेन्डीगं है। इसलिये रेस ज्युडीकेटा के सिद्धान्त लागु नही होते होने प्रतिवादी न.10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन व प्रस्तुत दस्तावेत का मनन करने से ऐसा प्रतीत होता है की वादी ने एक वाद पहले पेश किया जिसके प्रकरण सख्या 21/2015 है जिसका निर्णय गुण अवगुण पर दिनाक 29.10.2015 किया जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहॉ जैर पेन्डीगं है जिसके प्रकरण सख्या 389/2015 है फिर भी पुनः वादी ने समान पक्षकार एवं समान आराजीयात को लेकर वाद न्यायालय मे दिनाक 13.10.2017 को प्रस्तुत किया तथा वादी ने तथ्यो को गुमराह करते हुऐ नया

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

वाद पेश किया गया जो रेस ज्युडीकेटा के तहत निरस्त होने योग्य है इसलिये प्रतिवादी न.10 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनाक 19/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested